न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्याः– 220 / 2003
आरसीएमएस नं. :–2003 / 00083

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार / राजस्व / तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
––अपीलार्थी

बनाम

1. मनीराम पुत्र टिकुराम
2. फूल सिह पुत्र टिकूराम–मृतक
   2/ए दाखां बेवा फूल सिंह
   2/बी वीर सिंह मृतक
   2/सी महेन्द्र
   2/डी गोमन्दराम
   } पुत्र फूल सिह जाति कुम्हार निवासीगण भिरानी तहसील भादरा।
   2/बी/ए कृष्णा बेवा वीर सिह
   2/बी/सी राजकुमार
   2/बी/डी सुनील
   } नाबालिगान कुदती वली माता कृष्णा बेवा वीर सिंह जाति कुम्हार निवासीगण भिरानी त0 भादरा
3. भादर पुत्र श्री टिकु जाति कुम्हार निवासी भिरानी तहसील भादरा
4. माडु पुत्र हरीराम जाति कुम्हार निवासी भिरानी तहसील भादरा–मृतक
   4/ए महावीर
   4/2 नौरंगलाल
   } पुत्रान माडु जाति कुम्हार निवासीगण भिरानी तहसील भादरा
5. जयलाल पुत्र श्री हरीराम जाति कुम्हार निवासी भिरानी तहसील भादरा (मृतक)
   5/ए निहाल सिंह
   5/बी सीताराम
   } पि0 जयलाल जाति कुम्हार निवासीगण भिरानी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
6. आसी बेवा हरदेवा जाति कुम्हार निवासी भिरानी तहसील भादरा
7. तुलछा पुत्री हरदेवा जाति कुम्हार निवासी भिरानी तहसील भादरा

–– रेस्पोडेंट्स

अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी भादरा, दिनांक 05.02.2002 प्र. सं. 56 / 93
अनवान मनीराम आदि बनाम सरकार

उपस्थितिः–
श्री राजेश कौशिक, अभिभाषक अपीलार्थी

निर्णय दिनांक 10.XI.22

1. यह प्रकरण वर्ष 2003 से विचाराधीन चल रहा है। लगभग 19 वर्ष व्यतीत होने के उपरान्त भी काफी प्रयासों के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नहीं आया है। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्देशानुसार पुराने प्रकरणों का निस्तारण किया जाना आवश्यक है। इसलिए प्रकरण का निस्तारण किया जाना उचित है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अधिकारों की घोषणा एवं खाता विभाजन का वाद पेश किया। जिसमें कथन किया कि टिकुराम व हरीराम द्वारा संवत 2012 से पूर्व ग्राम भिरानी के ख. नं. 824 की 13–13 बीघा भूमि काबिल काश्त तैयार की गई है। इसी भांति टिकुराम द्वारा ख. नं. 822 की 26 बीघा भूमि व हरीराम द्वारा ख. नं. 814 की 15.16 बीघा भूमि काबिले काश्त तैयार की गई है। जिसे से काश्त करते चले आ रहे है। टीकुराम व हरीराम के वैधानिक वारिस हैं ये भूमि उन्हें उतराधिकार में प्राप्त हुई है जो उनके कब्जा काश्त में है। बंदोबस्त के दौरान यह भूमि ख. नं. 824, 822, 814 में परिवर्तित हुई। परिवर्तित होने के बाद भी 38.10 बीघा भूमि 40– 45 वर्षों से वादीगण के कब्जा काश्त में चली आ रही है। राजस्थान काश्तकारी अधिनिमय के प्रावधान लागू हुए उस दिन वादीगण खातेदार काश्तकार हो चुके है। वादीगण ने उपरोक्त भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित करने का अनुतोष मांगा। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय के द्वारा वाद वादी स्वीकार किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।
3. राजकीय अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई।
4. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय विधिक प्रावधानों के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कोई जांच किये कानून के विरूद्ध अवैध तरीके से मनमाने ढंग से आदेश पारित किया है जो क़ाबिल खारिज है। पक्षकारान द्वारा पेश की गई शहादत का सही प्रकार से मुल्यांकन नहीं किया है। प्रश्नगत भूमि भाखड़ा क्षेत्र (कोलो नाईजेशन) क्षेत्र में पड़ती है। इसलिए उक्त क्षेत्र में कानूनी प्रावधानों को पूर्ति के बिना खातेदारी नहीं दी जा सकती है। रेस्पोडेण्ट ने संवत 2012 की जमाबंदी पेश नहीं की है। ऐसी सूरत में रेस्पोडेण्ट को खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने का नर्णय व डिक्री काबिल खारिजी के है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया है। भूमि कभी भी रेस्पोडेण्ट के कब्जा काश्त में नहीं रही है। जिसे रेस्पोडेण्ट के नाम

Contd

खातेदारी दर्ज करने का अधीनस्थ न्यायालय को कोई अधिकार नही है। रेस्पोडेण्ट ने अपनी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से यह कतई साबित नही किया है कि सम्वत 2012 से पहले उक्त भूमि पर उनका कब्जा काश्त हो, इसके अभाव में रेस्पोडेण्ट को खातेदारी अधिकार नही दिये जा सकते। अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय में साक्ष्य पेश करने का अवसर नहीं दिया एवं कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। अपीलाण्ट को धारा 80 सीपीसी का नोटिस नहीं दिया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

5. विद्वान राजकीय अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख काफी प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं हुआ है। अपीलाण्ट ने अपील में पटवारी हल्का की रिपोर्ट पेश की है जिस रिपोर्ट में अंकित है कि जमाबंदी खतौनी भिरानी संवत 2058–61 पेश की है जिसमें प्रश्नगत भूमि सिवाय चक काबिल काश्त दर्ज थी। इससे स्पष्ट है कि प्रश्नगत सिवाय चक काबिल काश्त दर्ज थी जिसके अधीनस्थ न्यायलाय ने प्रश्गनत भूमि के खातेदारी अधिकार रेस्पोडेण्ट को प्रदान किये हैं लेकिन अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलाण्ट को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया है एवं प्रश्नगत भूमि पर अपीलाण्ट की कब्जा काश्त हो ऐसा भी साक्ष्य पेश नहीं हुआ है। अपीलाण्ट के कथनों का कोई विरोध नहीं हुआ है। अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.02.2002 निरस्त किये जाते हैं एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुन कर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

8. निर्णय आज दिनांक 10.X1.22 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10.X1.22

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ